



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1935 (श0)  
(सं0 पटना 265) पटना, मंगलवार, 2 अप्रील 2013

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

22 मार्च 2013

सं0 प्र-2/बोर्ड पुर्न0 सं0-31/2008-1741-06-विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आलोक में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के लिए, बिहार सरकार ने अपनी संकल्प संख्या 999 दिनांक 06.03.2012 द्वारा निम्नलिखित पांच (5) नई कम्पनियों का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किया है:-

- बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0, पटना-एक नियंत्रक कंपनी होगी जिसके पास अन्य चार सहायक कंपनियों के समता पूंजी का स्वामित्व होगा एवं सहायक कम्पनियों के लिए एक नियंत्री कम्पनी की तरह कार्य करेगी।
  - बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0, पटना-संचरण कंपनी।
  - बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, पटना-उत्पादन कंपनी।
  - साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना- दक्षिण बिहार के लिए वितरण कंपनी।
  - नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना- उत्तर बिहार के लिए वितरण कंपनी।
2. राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 1436, दिनांक 29.03.2012 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत पुर्नगठित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के उत्तराधिकारी नई कम्पनियों के प्रथम निदेशक मंडल का गठन किया है। उत्तराधिकारी कंपनियों का संचालन वाणिज्यिक रूप से करने हेतु निदेशक मंडल की संरचना का विस्तार करते हुए इन कम्पनियों में अन्य पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति किया जाना है। पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति हेतु पात्रता, कार्य अनुभव, कार्य-विवरण, चयन/खोज समिति का गठन एवं चयन की प्रक्रिया से संबंधित नियमावली निम्न प्रकार अधिसूचित की जाती है :-

#### 3. नई कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना:-

बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि0 एवं अन्य चार सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार होगी:-

#### (क) बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि0

क्र०	निदेशक मंडल एवं नए निदेशकों की आवश्यकता	पदनाम
1	प्रधान सचिव/ सचिव (वित्त विभाग), बिहार सरकार (वित्त विभाग द्वारा नामित)	निदेशक (अंशकालिक)
2	प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा विभाग), बिहार सरकार	निदेशक (अंशकालिक)



(ड.) साऊथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0

क्र०	निदेशक मंडल एवं नए निदेशकों की आवश्यकता	पदनाम
1	प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा विभाग), बिहार सरकार	निदेशक (अंशकालिक)
2	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0।	अध्यक्ष
3	प्रबन्ध निदेशक ( नई नियुक्ति )	प्रबंध निदेशक
4	प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0	निदेशक (अंशकालिक)
5	प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0।	निदेशक (अंशकालिक)
6	प्रबन्ध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0।	निदेशक (अंशकालिक)
7	वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून)	निदेशक (अल्पकालीन)
8	नई नियुक्ति	निदेशक (वित्त)
9	नई नियुक्ति	निदेशक (परियोजना)
10	नई नियुक्ति	निदेशक (संचालन)

4. पूर्णकालिक निदेशकों का कार्य-विवरण एवं उनकी नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, अनुभव इत्यादि:-

(क) अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (सी0 एम0 डी0)

कार्य विवरण

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक की भूमिका इस बात की है कि वे निगम के हित की देख-भाल कर यह सुनिश्चित करें कि निगम राज्य के विद्युत् क्षेत्र का जीवन्त विकास ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर एवं उन उद्देश्यों के लिए करें जिसके लिए इनका सृजन किया गया है। पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों का कुशल समर्थन उन्हें प्राप्त रहेगा। अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक निदेशक की भूमिका इस प्रकार है:-

- i. कारोबार के लिए सामरिक दृष्टिकोण का सृजन करना जो संगठन की शक्तियों से उत्सर्जित हो एवं इसके प्रतियोगी लाभ पर आधारित हो।
- ii. निदेशक मण्डल के साथ कार्य सृजन एवं कार्य सम्पादित करना, जो उन्हें संगठन के समस्त निर्देशन एवं अभिशासन में मददगार और समर्थ है।
- iii. मौलिक प्राथमिकता, नीति विषयक मूल्य, सिद्धान्त और विचारों की स्थापना करना जिससे संगठन का समग्र परिवर्तन हो एवं आवर्ती संस्कृति से सीखने की संस्कृति विकसित हो, निजी सहभागिता एवं सम्पूर्ण संगठन में सामरिक दृष्टिकोण के प्रति वचनबद्धता की भावना का विकास हो।
- iv. स्पष्ट शासनादेश के साथ कार्य करना ताकि निगम के अपेक्षित एवं निर्धारित मापदण्ड जो कार्य चालन, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यान्वयन से संबंधित हैं उन्हें हासिल किया जा सके।
- v. सम्बद्ध पूर्णकालिक निदेशकों की मदद से, उपभोक्ता की सेवाओं, उत्पादन गुणवत्ता, तकनीकी नेतृत्व, बाजार भागीदारी और वित्तीय उपाय जैसी कसौटियों के कार्यान्वयन से संबंधित मापदण्ड को बनाये रखना ताकि निदेशकों, उपभोक्ताओं और सभी अन्य दावेदारियों की उम्मीदों को पूरा किया जा सके।
- vi. सभी दावेदारों से, विशेषकर सरकारी स्तरों पर, जनसम्पर्क स्थापित करना।
- vii. निगम का नेतृत्व करना ताकि उपभोक्ताओं की सेवा करने एवं निवेश आकृष्ट करने के लिए निगम को उपयुक्त मंच में परिवर्तित किया जा सके।
- viii. निगम के निदेशक मंडल की बैठक एवं अंशधारकों की आम सभा की अध्यक्षता करना।
- ix. निगम के कारोबार को प्रभावशाली ढंग से व्यवस्थित करना एवं उपभोक्ता की संतुष्टि एवं वाणिज्यिक लाभ की वृद्धि के लिए संगठन को समर्थ बनाने में उन्नत सम्पादन के साथ निरन्तर एवं स्थायी अभिवृद्धि सुनिश्चित करना सी0एम0डी0 की पूर्ण जबाबदेही है।

पी0एस0यू0/निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता एवं अनुभव:-

क. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विद्युत्/इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्युनिकेशन में अभियंत्रण स्नातक अथवा सी0 ए0/आई0सी0डब्ल्यू ए0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/इन्डस्ट्रीयल रिलेशन में स्नातकोत्तर।

ख. न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव, जिसमें 15 वर्षों का अनुभव विद्युत् क्षेत्र में होना चाहिए।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/ केंद्रीय सेवा ग्रुप-ए/भारतीय अभियांत्रिक सेवा में कम से कम बारह वर्षों के अनुभव वाले उम्मीदवारों को भी पद के लिए पात्र माना जायगा।

**ख) प्रबन्ध निदेशक****कार्य विवरण**

प्रबन्ध निदेशक की भूमिका यह है कि वह सम्बन्धित सहायक कम्पनियों के हितों की देखभाल सुनिश्चित करे ताकि कम्पनी राज्य के विद्युत् क्षेत्र का निरन्तर विकास सार्थक वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर कर सके और जिन उद्देश्यों के लिए इनका सृजन किया गया है उसे हासिल किया जा सके। उन्हें पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों का कुशल समर्थन प्राप्त रहेगा। प्रबन्ध निदेशक की भूमिका इस प्रकार है:-

- i. निदेशक मंडल के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कम्पनी के दिन-प्रतिदिन कार्यों के लिए जिम्मेदार होना।
- ii. संगठन के समग्र निर्देशन एवं शासन में निदेशक मंडल के अधीन कार्य करना।
- iii. विद्युत् उत्पादन, संचरण और वितरण पर कार्य चालन, निष्पादन एवं कार्य अनुरक्षण के बारे में संचालन और नियंत्रण, मोनिटर, निरीक्षण के लिए विभिन्न कार्यात्मक प्रधानों के साथ इन्टरएक्ट करना। कम्पनी के सभी तकनीकी विषयों जो योजना, डिजाईन, तकनीकी विनिर्देशन, परियोजना प्रतिवेदन, प्लांट और मशीनरी के रख-रखाव से संबंधित हो, को हाथ में लेना और सुझाव देना।
- iv. विद्युत् उत्पादन/संचरण/वितरण (जो स्थिति हो) में योजना बनाने एवं डिजाईन कार्यवाही सम्बन्धी व्यवस्था सहित परियोजना निष्पादन में मार्गदर्शन करना।
- v. अन्य निदेशकों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श कर सभी तकनीकी निर्णय के बारे में प्रभावित करना एवं संचालित करना तथा अनुमोदन के लिए उसे बोर्ड के समक्ष पेश करने के लिए तकनीकी प्रस्तावों पर एजेंडा नोट भी तैयार करना।
- vi. निगम सीमा के बाहर व्यक्ति/संगठन/संस्थान के साथ तकनीकी विषय में प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होना और निगम की तकनीकी क्रिया-कलापों पर सार्वजनिक बोध कार्यक्रम बनाना। निगम की ओर से सम्बद्ध प्रतिस्थानी या प्राधिकारी के साथ तकनीकी निर्णय पर विमर्श करना और संसूचित करना।
- vii. राज्य विद्युत् विनियामक आयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एम0 आई0 एस0 (M.I.S) संगठित करना।
- viii. निदेशक (वित्त) के साथ विचार-विमर्श कर कम्पनी के वित्तीय मामलों पर निर्णय लेना।
- ix. अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

अनुषंगी कम्पनी के कारोबार को प्रभावकारी एवं पूर्णता से व्यवस्थित करना प्रबंध निदेशक की समग्र जबाबदेही है और उपभोक्ता की संतुष्टि एवं वाणिज्यिक व्यवहार्य की वृद्धि के लिए संगठन को सामर्थ्य बनाने में विकसित कार्यान्वयन के साथ निरन्तर एवं स्थायी अभिवृद्धि सुनिश्चित करना।

**पी0एस0यू0/निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता एवं अनुभव:-**

क. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विद्युत् /इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्युनिकेशन में अभियंत्रण स्नातक अथवा सी0 ए0/ आई0सी0डब्ल्यू0ए0/अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/इन्डस्ट्रीयल रिलेशन में स्नातकोत्तर।

ख. न्यूनतम 18 वर्षों का अनुभव, जिसमें से 13 वर्षों का अनुभव विद्युत् क्षेत्र में होना चाहिए।

**भारतीय प्रशासनिक सेवा/केंद्रीय सेवा गुप-ए/भारतीय अभियांत्रिक सेवा में कम से कम चार वर्षों के अनुभव वाले उम्मीदवारों को भी पद के लिए पात्र माना जायगा।**

**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया:-**राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा/केंद्रीय सेवा गुप-ए/अभियांत्रिक सेवा/पी0एस0यू0 के अभ्यर्थियों को स्वतः नियुक्त करने हेतु सक्षम होगी।

राज्य सरकार चयन/खोज समिति को भी पी0एस0यू0 एवं निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के खोज एवं अनुशंसा के लिए कह सकती है।

**(ग) निदेशक (संचालन)****कार्य विवरण**

निदेशक (संचालन) की भूमिका यह है कि कारोबार के वाणिज्यिक पहलुओं का पूर्ण रूप से प्रबन्धन करे और वह टोस कार्य संचालन एवं वाणिज्यिक सिद्धांतों का अनुसरण कर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठन को समर्थ करने में उन्नत निष्पादन के साथ निरन्तर अभिवृद्धि सुनिश्चित करे। वे पूर्णकालिक निदेशक होंगे एवं वाणिज्यिक मामलों से संबंधित सभी बड़े निर्णयों के लिए जिम्मेदार होंगे। निदेशक (संचालन) की जिम्मेदारियाँ इस प्रकार है:

- i. कारोबार कौशल विकसित करना और योजनाओं को संचालित करना, जिसका प्रतिबिंब निगम द्वारा स्थापित दीर्घकालीन लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं पर पड़ेगा। बोर्ड के निर्णय के आलोक में कारोबार के पोर्टफोलियों की संरचना करना जिससे निगम का भविष्य निर्धारित हो।
- ii. अन्य निदेशकों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श के बाद सभी कार्य संचालन एवं वाणिज्यिक निर्णयों को संसूचित करना तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए कार्य संचालन एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव पर कार्यावली टिप्पणी भी तैयार करना।
- iii. निगम सीमा के बाहर व्यक्तियों/संगठनों/संस्थानों के साथ सभी कार्य संचालन और वाणिज्यिक विषयों पर प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होना और निगम के कार्य संचालन और वाणिज्यिक क्रिया-कलापों पर

- सार्वजनिक बोध कार्यक्रम बनाना। निगम की ओर से संबद्ध प्रतिस्थानियों या प्राधिकारियों के साथ कार्य संचालन एवं वाणिज्यिक निर्णयों पर विमर्श करना और संसूचित करना।
- iv. प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत विद्युत् अधिप्राप्ति, टैरिफ अंगीकरण एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेवार होना।
  - v. राज्य विद्युत् विनियामक आयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एम0 आई0 एस0 (M.I.S.) विकसित करना।
  - vi. संचरण पहुँच/खुला पहुँच/टी0 एण्ड डी0 घाटा कमी/जनशक्ति उत्पादिता, यथास्थिति, जैसे तकनीकी पारामीटरों के उच्चतर मापदण्ड की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होना।
  - vii. यथा स्थिति विद्युत् अधिप्राप्ति की समुचित व्यवस्था करना।
  - viii. निदेशक मंडल/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा यथा सौंपे गये ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन।

**पी0एस0यू0/निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता एवं अनुभव:-**

- क. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विद्युत् /इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्युनिकेशन में अभियंत्रण स्नातक।
  - ख. न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव, जिसमें विद्युत् क्षेत्र में 10 वर्षों की सेवा होनी चाहिए।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा/ केंद्रीय सेवा ग्रुप-ए(भारतीय राजस्व सेवा/भारतीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद सेवा) में कम से कम चार वर्षों के अनुभव वाले उम्मीदवारों को भी पद के लिए पात्र माना जायगा।**

**(घ) निदेशक (वित्त)**

निदेशक (वित्त) की भूमिका यह है कि वह वित्तीय कारोबार का पूर्ण रूपेण प्रबन्धन करे और लाभ की अभिवृद्धि के संबंध में संगठन को समर्थ बनाने में विकसित निष्पादन के साथ निरन्तर बढ़ोतरी सुनिश्चित करे। निदेशक (वित्त) को चाहिए कि वह प्रबन्ध निदेशक/निदेशक मंडल को प्रभावित करने तथा उनके स्टॉक होल्डरों के हित को प्रोत्साहित करने के क्रम में निर्देश प्राप्त करे तथा पारदर्शिता कायम रखे। वह निगम का पूर्णकालिक निदेशक होगा। निदेशक (वित्त) की जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:-

- i. रिसोर्स योजना, वित्तीय बजट बनाने, उधार सेवा प्लान और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होना।
- ii. ससमय लेखा संकलन एवं अंकेक्षण को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होना।
- iii. वित्तीय कार्य संचालन के मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होना।
- iv. क्रय संबंधी क्रियाकलापों के वित्तीय पहलुओं की देखभाल करना।
- v. निधियों की अनुकूलतम उपयोग के लिए समुचित योजना बनाने तथा निधि प्रबंधन करने और निधियों के समय पर उपलब्धता सुनिश्चित रने के लिए जिम्मेदार होना।
- vi. निगम के सभी वित्तीय समव्यवहारों के लिए सरकार और अन्य उपर्युक्त एजेंसियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।
- vii. निदेशक मंडल/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा यथा सौंपे गये ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

**पी0एस0यू0/निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता एवं अनुभव:-**

- क. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से सी0 ए0/आई0सी0डब्ल्यू0ए0/ एम0बी0ए0 (वित्त)
  - ख. न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव जिसमें से विद्युत् क्षेत्र में 10 वर्षों की सेवा की गई हो।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा/केंद्रीय सेवा के ग्रुप ए (भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा/भारतीय रेल लेखा सेवा/भारतीय रक्षा लेखा सेवा/भारतीय टेलीकॉम लेखा सेवा) में चार वर्षों के अनुभव वाले उम्मीदवारों को भी पद के लिए पात्र माना जायगा।**

**(ड.) निदेशक (मानव संसाधन)**

**कार्य विवरण**

निगम के मानव संसाधन का प्रशासनिक और मानव संसाधन प्रबन्धन से संबंधित सभी विषयों को परिचालित करना, समन्वय स्थापित करना निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) की भूमिका है। वे पूर्णकालिक निदेशक होंगे। निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं :-

- i. निगम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल मानव संसाधन विकसित करना और निगम के विभिन्न पक्षों के बीच समन्वय में उसकी (निगम के योजना आदि) प्राथमिकता देना।
- ii. संगठनात्मक अनुशासन को बनाये रखने में जिम्मेदार होना।
- iii. प्रशासनिक क्रियाकलापों और मानव संसाधन के कार्यान्वयन के बारे में निर्णयों के लिए निगम के प्रबन्ध निदेशक के साथ काम करना।
- iv. नियंत्रण, विधिक मामलों को सम्पन्न करने, अन्तरण, पोस्टिंग करना, भर्ती करना, प्रशिक्षण आदि के लिए जिम्मेदार होना।
- v. समय-समय-पर यथाअपेक्षित परिसम्पत्तियों एवं अन्य परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना।
- vi. सभी प्रेस प्रकाशनार्थ, जन-सम्पर्क, भूमि एवं सम्पत्ति मामलों को हाथ में लेना।

- vii. निगम के दिन प्रतिदिन कार्यों के चालन के लिए राज्य सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करना।
- viii. निदेशक मंडल/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा यथा सौंपे गये ऐसे अन्य कार्यों को सम्पन्न करना।

**पी0एस0यू0/निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता एवं अनुभव:-**

क. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कार्मिक प्रबन्धन/इन्डस्ट्रीयल रिलेशन/एम0बी0ए0(मानव संसाधन) में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा।

ख. न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव जिसमें विद्युत् क्षेत्र में 10 वर्षों की सेवा की गई हो।

**भारतीय प्रशासनिक सेवा/केंद्रीय सेवा ग्रुप-ए में कम से कम चार वर्षों के अनुभव वाले उम्मीदवारों को भी पद के लिए पात्र माना जायगा।**

**(च) निदेशक (परियोजना)**

**कार्य विवरण**

संचरण या वितरण कम्पनियों, जो भी हो, के लिए परियोजना संबंधी विषयों की देखभाल करना निदेशक (परियोजना) की भूमिका है। निदेशक (परियोजना) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निगम राज्य के विद्युत् क्षेत्र का निरन्तर विकास कार्य, ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर करे और जिन उद्देश्यों के लिए इसका सृजन किया गया है, उसकी पूर्ति करे। निदेशक (परियोजना) की भूमिका इस प्रकार है:-

- कारोबार कौशल विकसित करना और निवेश संबंधी योजनाओं को संचालित करना, जिसका प्रतिबिम्ब निगम द्वारा स्थापित दीर्घकालीन लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं पर पड़ेगा ताकि निवेश संबंधी निर्णय लेने में निगम समर्थ हो।
- निदेशक मंडल के निर्णय के मुताबिक कारोबार संबंधी संविभाग के स्वरूप को ढालना जिससे निगम का भविष्य निर्धारित हो।
- परियोजना निष्पादन का मार्गदर्शन करना तथा संचरण/वितरण, जो भी हो, में आर्थिक उपलब्धि की योजना बनाना या डिजाईन करना।
- तकनीकी मापदण्डों/जनशक्ति उत्पादकता, यथास्थिति, के बेहतर मानकों की उपलब्धि के लिए जिम्मेदार होना।
- आगामी विद्युत् अभिवृद्धि/आवश्यकताओं की दृष्टि से, विद्युत् प्राप्ति/संचरण के लिए समुचित व्यवस्था करना।
- तकनीकी प्रस्तावों पर मुख्य अभियन्ता के साथ विस्तार से विचार-विमर्श करने के उपरान्त सभी तकनीकी निर्णयों को संसूचित करना और उनके निष्पादन को मॉनिटर करना।
- निगम की सीमा से बाहर व्यक्तियों/संगठनों/संस्थानों के साथ तकनीकी निर्णयों पर विमर्श करना एवं संसूचित करना।
- निगम की ओर से सम्बद्ध प्रतिस्थानियों या प्राधिकारियों के साथ विमर्श करना और संसूचित करना।
- निदेशक मंडल/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा यथा सौंपे गये ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।
- कम्पनी के तकनीकी पहलुओं को प्रभावशाली ढंग से व्यवस्थित करना निदेशक (परियोजना) की समग्र जबाबदेही है और उपभोक्ता की संतुष्टि एवं वाणिज्यिक व्यवहार्य की वृद्धि के लिए संगठन को समर्थ बनाने में विकसित कार्यान्वयन के साथ निरन्तर एवं स्थायी अभिवृद्धि सुनिश्चित करना।

**उम्मीदवारों की पात्रता एवं अनुभव:-**

क. मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विद्युत्/इलेक्ट्रानिक एवं कम्प्युनिकेशन में अभियंत्रण स्नातक।

ख. परियोजना एवं तकनीकी क्षेत्र में न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव जिसमें विद्युत् क्षेत्र में कम-से-कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

**(छ) निदेशक (तकनीकी)**

**कार्य विवरण**

उत्पादन कम्पनी के लिए तकनीकी एवं परियोजना संबंधी विषयों की देखभाल करने में, यह सुनिश्चित करना कि निगम राज्य के विद्युत् क्षेत्र का निरन्तर विकास और ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करे और जिन उद्देश्यों के लिए इसका सृजन किया गया है, उसकी पूर्ति करे, निदेशक (तकनीकी) की भूमिका है। निदेशक (तकनीकी) की भूमिका इस प्रकार है:-

- कारोबार कौशल, निवेश और कार्यचालन प्लान्ट विकसित करना, जिसका प्रतिबिम्ब निगम द्वारा स्थापित दीर्घकालीन लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं पर पड़ेगा ताकि निवेश संबंधी निर्णय लेने में निगम समर्थ हो।
- निदेशक मंडल के निर्णय के मुताबिक कारोबार संबंधी संविभाग के स्वरूप को ढालना जिससे कम्पनी का भविष्य निर्धारित हो।
- परियोजना निष्पादन का मार्ग दर्शन करना तथा विद्युत् उत्पादन में आर्थिक उपलब्धि की ओर योजना और डिजाईन बनाना।

- iv. उत्पादन प्लांटों की अनुकूलतम उपयोग के लिए इंधनों की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करना।
- v. तकनीकी प्रस्तावों पर मुख्य अभियन्ता के साथ विस्तार से विचार-विमर्श करने के बाद सभी तकनीकी निणयों को संसूचित करना और उनके निष्पादन को मॉनिटर करना।
- vi. निगम की सीमा के बाहर व्यक्तियों/संगठनों/संस्थानों के साथ तकनीकी विषयों पर प्रभावित करने की जिम्मेदारी।
- vii. निगम की ओर से सम्बद्ध प्रतिस्थानियों या प्राधिकारियों के साथ विमर्श करना और संसूचित करना।
- viii. राज्य विद्युत् विनियामक आयोग से तकनीकी विषयों पर निगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एम0 आई0 एस0 (M.I.S) संगठित करना।
- ix. निदेशक मंडल/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा सौंपे गये ऐसे अन्य कार्यों को निष्पादित करना।
- x. उत्पादन कम्पनी के तकनीकी पहलुओं को प्रभावशाली ढंग से व्यवस्थित करना निदेशक (तकनीकी) की पूरी जबाबदेही है और उपभोक्ता की संतुष्टि एवं वाणिज्यिक व्यवहार्य की वृद्धि के लिए संगठन को समर्थ बनाने में विकसित कार्यान्वयन के साथ निरन्तर एवं स्थायी अभिवृद्धि सुनिश्चित करना।

**उम्मीदवारों की पात्रता एवं अनुभव:-**

क. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विद्युत्/इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्युनिकेशन में अभियंत्रण स्नातक।  
 ख. परियोजना और तकनीकी क्षेत्र में 15 वर्षों का न्यूनतम अनुभव, जिसमें विद्युत् क्षेत्र में कम-से-कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

5. सभी सहायक कंपनी यथा बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन क0 लि0, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन क0 लि0, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन क0 लि0, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन क0 लि0 में मानव संसाधन से संबंधित पक्ष कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) के द्वारा देखा जाएगा, जो प्रबंध निदेशक के नियंत्रणाधीन पदाधिकारी होंगे।

**6. आयु सीमा**

सभी पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को, 62 वर्ष होगी।

**7. चयन/ खोज समिति :**

(अ) चयन/खोज समिति निम्न प्रकार गठित की जाती है:-

- i. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, चयन/खोज समिति के अध्यक्ष।
- ii. प्रधान सचिव (वित्त), बिहार सरकार।
- iii. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार सरकार।
- iv. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा), बिहार सरकार, सदस्य सचिव।
- v. अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि0।

(ब) अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अनुभव नहीं रखने की स्थिति में, चयन/खोज समिति समान योग्यता वाले अभ्यर्थी की पात्रता पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगा।

(स) चयन/ खोज समिति विभिन्न पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से तीन पात्र उम्मीदवारों की सूची अनुशंसा सहित राज्य सरकार को समर्पित करेगी। उम्मीदवारों की सूची अनुशंसा की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

8. सभी उत्तराधिकारी कंपनियों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक के पदों पर नियुक्ति चयन/खोज समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा एवं इन पदों पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। वैसे राज्य सरकार इन पदों पर भी पी0एस0यू0 या निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु चयन/खोज समिति को अनुशंसा हेतु कह सकती है।

**9. नियुक्ति की अवधि:-**

अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक की नियुक्ति प्रारम्भ में तीन वर्षों के लिए की जाएगी जिसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

**10. अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशकों को पद से हटाने की प्रक्रिया:-**

राज्य सरकार अपने पूर्ण विवेक का उपयोग करते हुए उत्तराधिकारी कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों को तीन माह या उससे कम की सूचना या सूचना अवधि के अभाव में तीन माह या उससे कम अवधि का वेतन देते हुए, उन्हें पद से हटा सकती है।

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं निदेशक, तत्कालीन प्रभाव से पदमुक्त माने जायेंगे अगर वे कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत अयोग्य पाए जाते हैं अथवा वे सकल कदाचार/गबन के दोषी पाए जाते हैं।

**11. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों द्वारा पद त्याग:-**

उत्तराधिकारी कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं निदेशक राज्य सरकार को तीन माह की सूचना देते हुए एवं त्याग पत्र प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को संबोधित करते हुए, अपने पद का त्याग कर सकते हैं।

**12. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन की प्रक्रिया:-**

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन दो हिन्दी राष्ट्रीय समाचारपत्र/ दो अंग्रेजी समाचारपत्र एवं दो व्यवसायिक/आर्थिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही इसे उर्जा विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध किया जाएगा। आवेदन जमा करने की न्यूनतम अवधि तीन सप्ताह हो सकती है।

**13. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों के पद हेतु वेतनमान:-**

**(अ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों के लिए वेतन निम्न प्रकार होगा:-**

- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक:- रु0 67,000 – 79,000 तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ
- प्रबंध निदेशक:- रु0 37,400– 67,000 (12,000 ग्रेड पे) तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ
- निदेशक:-रु0 37,400 – 67,000 (10,000 ग्रेड पे)

**(ब) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों का वेतन निर्धारण :-**

- भारतीय प्रशासनिक सेवा/केंद्रीय सेवा ग्रुप-ए/भारतीय अभियांत्रिक सेवा के उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारों के कैडर नियम/पैतृक संस्थान के नियमानुसार देय होगा।
- पी0एस0यू0 के उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे या तो यहाँ अधिसूचित वेतनमान, जो वर्तमान सरकारी नियमानुसार सुरक्षित वेतनमान होगा, की सहमति दें अथवा अपने पैतृक संस्था का वेतनमान, प्रतिनियुक्ति भत्ता (मूल वेतन+मैहगाई भत्ता का अधिकतम 25 प्रतिशत) के साथ स्वीकार करें।
- पी0एस0यू0/सरकारी विभाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए वेतन निर्धारण सरकारी नियमानुसार किया जाएगा जो अंतिम वेतन से पेंशन की राशि घटाकर मान्य होगा। चयन/खोज समिति के पास निर्दिष्ट वेतनमान में वेतन प्रकम प्रस्तावित करने का अधिकार होगा।
- निजी क्षेत्र के कर्मियों के लिए चयन/खोज समिति के पास निर्दिष्ट वेतनमान में वेतन प्रकम प्रस्तावित करने का अधिकार होगा।

इसके अतिरिक्त अन्य लाभ यथा आवास भत्ता, कंपनी आवास, कार, चिकित्सा लाभ इत्यादि कंपनी के नियमानुसार देय होगा।

**14. आवेदन की समर्पण प्रक्रिया:-**

अ. सभी आवेदन विज्ञापन में दिए गए निर्दिष्ट प्राधिकार को ही समर्पित किया जाएगा।

ब. केंद्रीय/राजकीय पी0एस0यू0 के संभावित अभ्यर्थी अनुसूची-I में दिए गए प्रारूप में अपना आवेदन, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजन हेतु, अपने उचित माध्यम के द्वारा भेजें। ऐसे उम्मीदवार नियमानुसार उचित प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

स. केंद्रीय/राजकीय पी0एस0यू0/सरकार से सेवानिवृत्त कर्मिक भी अनुसूची II में दिए गए प्रारूप में अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इन उम्मीदवारों का वेतन निर्धारण वर्तमान सरकारी नियमानुसार किया जाएगा।

द. निजी क्षेत्र (जिसका कुल वार्षिक कारोबार रु0 50 करोड़ हो) के संभावित उम्मीदवार भी अनुसूची-III में दिए गए प्रारूप में अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

**आदेश:-**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
संदीप पौण्डरीक,  
सरकार के सचिव।

*The 22nd March 2013*

No. प्र0-2/बोर्ड पुर्न0 सं0-31/2008-1741-06-Pursuance to the provisions of Electricity Act 2003, for Reorganisation of Bihar State Electricity Board, following five companies have been incorporated under the Companies Act, 1956 vide State Government resolution no. 999 dated 06.03.2012 :-

Bihar State Power (Holding) Company Ltd., Patna – A controlling company which will hold equity capital of the other four subsidiary companies and will act as a controlling company for the subsidiary companies.

- Bihar State Power Transmission Company Ltd., Patna – Transmission Company
- Bihar State Power Generation Company Ltd., Patna – Generation Company



- iii. South Bihar Power Distribution Company Ltd., Patna – Distribution Company for South Bihar.
- iv. North Bihar Power Distribution Company Ltd., Patna – Distribution Company for North Bihar.

(2) The State Government vide notification no. 1436 dated 29.03.2012 has constituted the first Board of Directors of the successor companies of Bihar State Electricity Board reconstituted under the Electricity Act, 2003. To commercialise the operations of the successor companies, the structure of Board of Directors of these companies is to be expanded for appointment of more whole time directors in these companies the rules regarding the eligibility criteria for appointment of whole time Directors, experience, job description, constitution of selection / search committee and procedure of selection is notified as follows:-

(3) **Structure of Board of Directors of new companies:** - The structure of Board of Directors of Bihar State Power (Holding) Co. Ltd. and its subsidiary companies will be as under:

**A. Bihar State Power (Holding) Company Ltd.**

S. No.	Board of Directors and requirement of new Director	Designation
1	Principal Secretary /Secretary, Finance Deptt., Govt. of Bihar (Nominated by Finance Deptt.)	Director (Part time)
2	Principal Secretary / Secretary, Energy Deptt., Govt. of Bihar	Director (Part time)
3	Chairman-cum-Managing Director (Fresh Appointment)	Chairman-cum-Managing Director
4	Managing Director, Bihar State Power Generation Company Ltd.	Director (Part time)
5	Managing Director, Bihar State Power Transmission Company Ltd.	Director (Part time)
6	Managing Director, South Bihar Power Distribution Company Ltd.	Director (Part time)
7	Managing Director, North Bihar Power Distribution Company Ltd.	Director (Part time)
8	Fresh Appointment	Director (Finance)
9	Fresh Appointment	Director (Human Resource)

**B. Bihar State Power Generation Company Ltd.**

S. No.	Board of Directors and requirement of new Director	Designation
1	Principal Secretary / Secretary, Energy Deptt., Govt. of Bihar	Director (Part time)
2	Chairman-cum-Managing Director, Bihar State Power (Holding) Company Ltd.	Chairman

<b>S. No.</b>	<b>Board of Directors and requirement of new Director</b>	<b>Designation</b>
3	Managing Director (Fresh Appointment)	Managing Director
4	Managing Director, Bihar State Power Transmission Company Ltd.	Director (Part time)
5	Managing Director, South Bihar Power Distribution Company Ltd.	Director (Part Time)
6	Managing Director, North Bihar Power Distribution Company Ltd.	Director (Part Time)
7	Representative of Finance Deptt. Govt. of Bihar. (not below the rank of Joint Secretary)	Director (Part Time)
8	Fresh Appointment	Director (Finance)
9	Fresh Appointment	Director (Technical)

**C. Bihar State Power Transmission Company Ltd.:**

<b>S. No.</b>	<b>Board of Directors and requirement of new Director</b>	<b>Designation</b>
1	Principal Secretary / Secretary, Energy Deptt., Govt. of Bihar	Director (Part time)
2	Chairman-cum-Managing Director, Bihar State Power (Holding) Company Ltd.	Chairman
3	Managing Director (Fresh Appointment)	Managing Director
4	Managing Director, Bihar State Power Generation Company Ltd.	Director (Part Time)
5	Managing Director, South Bihar Power Distribution Company Ltd.	Director (Part Time)
6	Managing Director, North Bihar Power Distribution Company Ltd.	Director (Part Time)
7	Representative of Finance Deptt. Govt. of Bihar. (not below the rank of Joint Secretary)	Director (Part Time)
8	Fresh Appointment	Director (Finance)
9	Fresh Appointment	Director (Projects)
10	Fresh Appointment	Director (Operations)

**D. North Bihar Power Distribution Company Ltd.**

<b>S. No.</b>	<b>Board of Directors and requirement of new Director</b>	<b>Designation</b>
1	Principal Secretary / Secretary, Energy Deptt., Govt. of Bihar	Director (Part time)
2	Chairman-cum-Managing Director, Bihar State Power (Holding) Company Ltd.	Chairman
3	Managing Director (Fresh Appointment)	Managing Director
4	Managing Director, Bihar State Power	Director (Part Time)

S. No.	Board of Directors and requirement of new Director	Designation
	Generation Company Ltd.	
5	Managing Director, Bihar State Power Transmission Company Ltd.	Director (Part Time)
6	Managing Director, South Bihar Power Distribution Company Ltd.	Director (Part Time)
7	Representative of Finance Deptt. Govt. of Bihar. (not below the rank of Joint Secretary)	Director (Part Time)
8	Fresh Appointment	Director (Finance)
9	Fresh Appointment	Director (Projects)
10	Fresh Appointment	Director (Operations)

**E. South Bihar Power Distribution Company Ltd.**

S. No.	Board of Directors and requirement of new Director	Designation
1	Principal Secretary / Secretary, Energy Deptt., Govt. of Bihar	Director (Part time)
2	Chairman-cum-Managing Director, Bihar State Power (Holding) Company Ltd.	Chairman
3	Managing Director (Fresh Appointment)	Managing Director
4	Managing Director, Bihar State Power Generation Company Ltd.	Director (Part Time)
5	Managing Director, Bihar State Power Transmission Company Ltd.	Director (Part Time)
6	Managing Director, North Bihar Power Distribution Company Ltd.	Director (Part Time)
7	Representative of Finance Deptt. Govt. of Bihar. (not below the rank of Joint Secretary)	Director (Part Time)
8	Fresh Appointment	Director (Finance)
9	Fresh Appointment	Director (Projects)
10	Fresh Appointment	Director (Operations)

(4) The job description of whole times Directors and necessary qualification, experience etc. for their appointment: -

**(A) Chairman cum Managing Director (CMD)**

**Job Description**

The role of CMD is to look after the interest of the Corporation by ensuring that the Corporation functions for sustainable development of the Power Sector of the State on sound commercial principles and for the objectives it is created for. He would be ably supported by full time Functional Directors. The role of CMD is as follows: -

- (i) Create strategic vision for the business that stems from organization's strength and builds on its competitive advantages.

- (ii) Create and work with the Board that is capable of helping and supporting him in the overall direction and governance of the organization.
- (iii) Establish basic priorities, ethical values, policies and attitudes that will transform the Company from being a repeating culture into a learning culture; instill a sense of personal involvement and commitment to the strategic vision throughout the organization.
- (iv) To act with a clear mandate to achieve expected / laid down standards of operational, financial and administrative performance of the Corporation.
- (v) With the help of concerned whole time Directors, he is to maintain standards of performance in terms of criteria such as customer services, product quality, technological leadership, market share and financial measures that will meet expectations of the investors, the Consumers and all other stake holders.
- (vi) To maintain public relations with all stakeholders, especially at the Government level.
- (vii) Lead the Corporation so as to transform it into a platform for serving the consumers and attract investment.
- (viii) Chair the Board meetings and General Meetings of shareholders.
- (ix) The overall responsibility of CMD is to effectively manage the business of the Company in totality and ascertain continuous and sustained growth with improved performance enabling the organization to increase consumer satisfaction and commercial viability.

#### **Qualification and experience for Candidates from PSUs/ Private Sector**

- a. Engineering Graduate in Electrical/ Electronics & Communication from a recognized Institute/University or CA/ICWA or Post Graduate in Business Administration/ Industrial Relations from a recognized Institute/University.
- b. Minimum experience of 20 years out of which minimum 15 years' experience should be in the Power Sector.

**Candidate from IAS/ Central Services "Group-A"/ Indian Engineering Services with minimum experience of 12 years will also be eligible for the Post.**

#### **(B) Managing Director**

##### **Job Description**

The role of the MD is to look after the interest of the respective Subsidiary Company by ensuring that the Company functions for sustainable development of the Power Sector of the State on sound commercial principles and for the objectives it is created for. He would be ably supported by full time Functional Directors. The role of MD is as follows:

- (i) To be responsible for day to day affairs of the company under the control and supervision of the Board.
- (ii) To work under the Board in the overall direction and governance of the organization.
- (iii) To interact with different functional heads to communicate and control, monitor, inspect performance of operation and maintenance work on generation, transmission and distribution of electricity. To handle and advise all technical matters of the

corporation related to planning, design, technical specification, project report, plant and machinery maintenance,

- (iv) To guide project execution including planning and design, action related to economy in power production/transmission/distribution (as the case may be).
- (v) To interact and communicate all technical decision on detailed discussion with other Directors and also to get the agenda note prepared on technical proposals for placing it in the Board for approval.
- (vi) To be responsible for interaction in technical matter with person/ organization/ institution outside the corporate boundary and to build public awareness programme on technical activity of the corporation. To discuss and communicate technical decision to concerned counterpart or authority on behalf the corporation.
- (vii) To organize MIS to fulfill the requirements of State Electricity Regulatory Commission.
- (viii) To take decision on financial matters of the company in consultation with the Director (Finance).
- (ix) To perform such other functions as entrusted by the Chairman Board.

The overall responsibility of MD is to effectively manage the business of the Subsidiary Company in totality and ascertain continuous and sustained growth with improved performance enabling the organization to increase consumer satisfaction and commercial viability.

#### **Qualification and experience for Candidates from PSUs/ Private Sector**

- a. Engineering Graduate in Electrical/ Electronics & Communication from a recognized Institute/University or CA/ICWA or Post Graduate in Business Administration/ Industrial Relations from a recognized Institute/University.
- b. Minimum experience of 18 years out of which minimum 13 years' experience should be in the Power Sector.

**Candidate from IAS/ Central Services "Group-A"/ Indian Engineering Services with minimum experience of 04 years will also be eligible for the Post.**

**Procedure of appointment of CMD and MDs:** State Government will be competent to appoint Candidates from IAS/ Central Services "Group- A"/ Engineering Services/ PSUs on its own. For Candidates from PSUs or Private Sector it may also ask the Search Committee to search for and recommend Candidates.

#### **(C) Director (Operations)**

##### **Job Description**

The role of Director (Operations) is to manage the commercial aspects of the business in totality & ensure continuous growth with improved performance enabling the organization to meet its objectives following sound operational and commercial principles. He will be a whole time Director and is to be responsible for all major decisions related to commercial matters. The role of Director (Operations) is as follows: -

- (i) To develop business strategies and operating plans that reflects the long-term corporate goals and priorities established by the Corporation. To structure the business

portfolio in line with the Board's decision that determines the future of the Corporation.

- (ii) To communicate all operational and commercial decisions after detailed discussions with the other Directors and also to get the agenda note prepared on operational and commercial proposal for approval of the Board.
- (iii) To be responsible for interaction on operational and commercial matters with persons/ organizations/ institutions outside the corporate boundary and to build public awareness programme on operational and commercial activities of the Company. To discuss and communicate operational and commercial decisions to the concerned counterparts or authorities on behalf the Corporation.
- (iv) To be responsible for the adoption of tariff, procurement of power under competitive bidding regime and to fulfill the requirements of the State Electricity Regulatory Commission, as the case may be.
- (v) To develop MIS to fulfill the requirements of the Corporation on technical matters of the State Electricity Regulatory Commission.
- (vi) To be responsible for achieving higher standards of technical parameters viz. transmission access/ open access/ T&D loss reduction/ manpower productivity, as the case may be.
- (vii) To make proper arrangements for procurement of power as the case may be.
- (viii) To perform such other functions as entrusted by the Board/ CMD/MD.

#### **Qualification and experience for Candidates from PSUs/ Private Sector**

- a. Engineering Graduate in Electrical/ Electronics & Communication from a recognized Institute/ University.
- b. Minimum experience of 15 years, out of which should have served for 10 years in the Power Sector.

**Candidate from IAS/ Central Services "Group- A" (Indian Revenue Services/Indian Custom & Excise Services) with minimum experience of 04 years will also be eligible for the Post.**

#### **(D) Director (Finance)**

##### **Job Description**

The role of the Director (Finance) is to manage the financial business in totality and ascertain a continuous growth with improved performance enabling the organization to increase profitability. Director (Finance) should interact with the Managing Director/Board and take directives from them in order to uphold the interest of the stakeholders and maintain transparency. He will be a whole time Director of the Corporation. The role of Director (Finance) is as follows: -

- (i) To be responsible for resource planning, financial budget preparation, loan servicing plan and implementation.
- (ii) To be responsible for timely compilation of accounts and audit.
- (iii) To be responsible for monitoring of financial operations.
- (iv) To look into the financial aspects of procurement activities.

- (v) To be responsible for proper planning and fund management for optimum use of funds and to ensure timely availability of funds.
- (vi) To be in liaison with the Government and other appropriate agencies for all financial dealings of the Corporation.
- (vii) To perform such other functions as entrusted by the Board/ CMD / MD.

**Qualification and experience for Candidates from PSUs/ Private Sector**

- a. CA/ ICWA/ MBA (Finance) from a recognized Institute/ University.
- b. Minimum experience of 10 years, out of which should have served for 5 years in the Power Sector.

**Candidates from IAS/ Central Services Group “A” (Indian Audit & Account Service/ Indian Railway Account Service/ Indian Defence Account Service/Indian Telecom Account Service) with minimum experience of 04 years will also be eligible for the post.**

**(E) Director (Human Resource)**

**Job Description**

The role of Director (Personnel and Administration) is to run, co-ordinate all matters related to running of administrative and human resource management of the corporation. He will be a whole time Director of the Corporation. The role of Director (Human Resource) is as follows: -

- (i) To develop human resource strategies of the Corporation for achievement of goals of the Corporation and prioritize the same (Corporate Plans etc.) in coordination with different wings of the Corporation.
- (ii) To be responsible for maintenance of organizational discipline.
- (iii) To interact with the MD of the Corporation for decisions regarding implementation of administrative activities and human resource management.
- (iv) To be responsible for controlling, dealing legal matters, transfer, posting, recruitments, Trainings etc.
- (v) To be responsible for security of the assets and other aspects as may be required from time to time.
- (vi) To handle all press release, public relations, land and property matters.
- (vii) To maintain liaison with / State Government, local bodies, other organizations for running day to day affairs of the Corporation.
- (viii) To perform such other functions as entrusted by the Board/ CMD/ MD.

**Qualification and experience for Candidates from PSUs/ Private Sector**

- a. MBA (HR) or Post Graduate Degree/Diploma in Personnel Management/ Industrial Relations from a recognized Institute/University.
- c. Minimum experience of 15 years, out of which should have served for 10 years in the Power Sector.

**Candidates from IAS/Central Services “Group A” with minimum experience of 04 years will also be eligible for the post.**

**(F) Director (Projects)**

**Job Description**

The role of the Director (Projects) is to look after the project related matters for the transmission or distribution companies, as the case may be. Director (Projects) is responsible to ensure that the Company functions for sustainable development of the Power Sector of the State on sound commercial principles and for the objectives it has been created for. The role of Director (Projects) is as follows: -

- (i) To develop business strategies and investment plans that reflects the long-term corporate goals and priorities established by the Corporation to enable investment decision making.
- (ii) To structure the business portfolio in line with the Board’s decision that determines the future of the Corporation.
- (iii) To guide project execution including planning and design, activities leading to achieving economies in transmission/ distribution, as the case may be.
- (iv) To be responsible for achieving higher standards of technical parameters/ manpower productivity, as the case may be.
- (v) To make proper arrangements for procurement/transmission of power, as the case may be.
- (vi) To communicate all technical decisions after detailed discussions with Chief Engineers on technical proposals and to monitor their execution.
- (vii) To be responsible for interaction on technical matters with persons/ organizations/ institutions outside the corporate boundary.
- (viii) To discuss and communicate technical decisions to the concerned counterparts or authorities on behalf the Corporation.
- (ix) To perform such other functions as entrusted by the Board/ CMD / MD.
- (x) The overall responsibility of Director (Projects) is to effectively manage the technical aspects of the Company in totality and ascertain continuous and sustained growth with improved performance enabling the organization to increase consumer satisfaction and commercial viability.

**Qualification and experience for Candidates**

- a. Engineering Graduate in Electrical/ Electronics & Communication from a recognized Institute/ University.
- b. Minimum experience of 15 years in projects and technical side out of which at least 10 years experience should be in the Power sector.

**(G) Director (Technical)**

**Job Description**

The role of the Director (Technical) is to look after the technical and project related matters for the generation company by ensuring that the Company functions for sustainable



development of the Power Sector of the State on sound commercial principles and for the objectives it is created for. The role of Director (Technical) is as follows: -

- (i) To develop business strategies, investment and operating plans that reflects the long-term corporate goals and priorities established by the Corporation to enable investment decision making.
- (ii) To structure the business portfolio in line with the Board's decision that determines the future of the Corporation.
- (iii) To guide project execution including planning and designing and activities leading to achieving economies in power production.
- (iv) To make proper arrangements for supply of fuel(s) for optimal utilization of generating plants.
- (v) To communicate all technical decisions after detailed discussions with Chief Engineers on technical proposals and to monitor their execution.
- (vi) To be responsible for interaction on technical matters with persons/ organizations/ institutions outside the corporate boundary.
- (vii) To discuss and communicate technical decisions to the concerned counterparts or authorities on behalf the Corporation.
- (viii) To develop MIS to fulfill the requirements of the Corporation on technical matters of the State Electricity Regulatory Commission.
- (ix) To perform such other functions as entrusted by the Board/ CMD /MD.
- (x) The overall responsibility of Director (Technical) is to effectively manage the technical aspects of the generating Company in totality and ascertain continuous and sustained growth with improved performance enabling the organization to increase consumer satisfaction and commercial viability.

### **Qualification and experience for Candidates**

- a. Engineering Graduate in Electrical/ Electronics & Communication from a recognized Institute/ University.
- b. Minimum experience of 15 years in projects and technical side out of which at least 10 years experience should be in the Power sector.

(5) In all the subsidiary companies viz. Bihar State Power Generation Co. Ltd., Bihar State Power Transmission Co. Ltd., North Bihar Power Distribution Co. Ltd. and South Bihar Power Distribution Co. Ltd., the human resource related aspects will be dealt by the Executive Director (Human Resource) under Managing Director.

### **(6) Age at Entry:**

The maximum age limit for appointment of these posts shall be 62 years on the closing date of receipt of application.

### **(7) Selection /Search Committee:**

- (a) The following Selection/ Search Committee hereby constituted: -
  - i. Chief Secretary , Government of Bihar, Chairman of the Committee
  - ii. Principal Secretary, Finance Deptt., Government of Bihar

- iii. Principal Secretary, General Administration Deptt., Government of Bihar
- iv. Principal Secretary/ Secretary, Energy Deptt., Government of Bihar, Member Secretary of the Committee
- v. Chairman cum Managing Director, Bihar State Power (Holding) Company Ltd.

(b) In absence of the candidates with the specified qualification and experience, the selection/search committee is authorized to take decision on the candidates having equivalent qualification.

(c) The selection / search committee will submit a panel of three (3) eligible candidates for each post out of the applications received for various posts, alongwith its recommendations to the State Govt. for appointment. The Panel will be valid for one (1) year from the date of recommendation.

(8) The appointment for the posts of Chairman-cum-Managing Director, Managing Directors of the successor companies will be outside the purview of the selection / search committee and their appointment will be done by the State Government, unless the selection / search committee is asked by the State Govt. to recommend Candidates from PSUs or Private Sector for appointment on these Posts.

**(9) PERIOD OF APPOINTMENT:**

CMD/MD/Directors will be appointed initially for a period of 3 years extendable up to 5 years.

**(10) REMOVAL OF CMD/MD/DIRECTORS:**

The State Government at its sole discretion may remove the CMD/MD/Directors of the successor companies with 3 months notice period or shorter notice with proportionate compensation to the CMD/MD/Directors equivalent to salary for the period of notice condoned. The CMD/MD/Directors can be removed with immediate effect if he is disqualified under the provisions of Companies Act 1956 or its guilty of gross misconduct/ defalcation.

**(11) RESIGNATION BY CMD/MD/DIRECTORS:**

The CMD/MD/Directors of the successor companies may resign from his post with 3 months notice period to the State Govt. addressed to Principal Secretary/ Secretary, Deptt. of Energy, Government of Bihar.

**(12) PROCESS FOR ADVERTISEMENT INVITING APPLICATIONS FOR THE POST OF CMD/MD/DIRECTOR:**

The advertisement inviting applications for the post of CMD/MD/Director will be published / advertised in Two Hindi National News Papers/ Two English National News Papers and Two Business/Economy National News Papers with all India circulation. It will be also be placed on the Website of Energy Department of Government of Bihar. The time period for submitting application will be three weeks.

**(13) PAY SCALES FOR THE CMD/MD/DIRECTORS:**

(a) The emoluments to the CMD/MD/Directors shall be as under: -

(i) CMD: Rs.67,000- 79,000 with annual increment @3%

(ii) MD: Rs.37,400- 67,000(12,000 Grade pay) with annual increment @3%

(iii) Director: Rs.37,400 - 67,000 with Grade Pay Rs. 10,000/-

**(b) PAY FIXATION FOR THE CMD/MD/DIRECTORS:**

(i) For candidates from IAS/ Central Services" Group A"/ IES will be as per their Cadre Rules/ Parent Organisation Rules.

(ii) For Candidates from PSUs:

- The candidates will be given the option to opt the scales notified herein with pay protection as per extant Government Rules or to take their Parent Organisation pay plus a Deputation Allowance subject to a maximum of 25% of Basic Pay + DA.

(iii) For Retired Employees from Government Departments / PSUs:

- The Search Committee will have the power to offer stage in the designated scale. The pay fixation will be guided by the extant Government Rules factoring in the pension drawn.

(iv) For Private Sector Employees:

- The Search Committee will have the power to offer stage in the designated scale.

Further other benefits like HRA/Company Accommodation, Car, Medical Benefits etc. as per Company Rules will also be provided.

**(14) SUBMISSION OF APPLICATION:**

(a) The application will be submitted to the designated authority in the advertisement.

(b) Prospective candidates from Central/State Public Sector Enterprises can apply on deputation basis through proper channel in format at Annexure-I. Such candidates will be entitled for the deputation allowance as per Rules.

(c) The retired Government / Central/State Public Sector Enterprises can also apply in format at Annexure-II. The pay fixation in case of such candidates shall be as per the extant Government Rules.

(d) Prospective candidates from Private Sector (with annual turnover of Rs.50 Crores) may apply in format at Annexure-III.

ORDER:—Ordered that this notification be published in Bihar Gazette Extraordinary issue for information to general public.

By order of the Governor of Bihar,  
SANDEEP POUNDRIK,  
*Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 265-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>